पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1225
दिनांक-21.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- अलीगंज, लखनऊ

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, मारपीट एवं धमकी के प्रकरण में थाना अलीगंज पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई, 02 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

- **घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता का बयान, मेडिकल परीक्षण एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।**
- **पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई।**
- **घटना में प्रयुक्त मारुति बलेनो कार संख्या UP 32 BK 8317 को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।**
- **पीड़िता की सुरक्षा, मेडिकल परीक्षण एवं आवश्यक सहायता सुनिश्चित की गई। प्रकरण में अन्य साक्ष्यों का संकलन एवं अग्रिम विवेचनात्मक/विधिक कार्रवाई प्रचलित है।**

01- संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 21.07.2026 को एक 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता द्वारा थाना अलीगंज पुलिस को शिकायत दी गई कि 02 नामित अभियुक्त/ अन्य अज्ञात द्वारा उसका उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त शिकायत के आधार पर **थाना अलीगंज पर तत्काल मु0अ0सं0-134/2026, धारा 70(2)/115(2)/351(2)/3(5)/140(4) बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीड़िता को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल वादिनी का 180 BNSS का बयान कर, निरीक्षण घटनास्थल, पीड़िता के बयान 180 BNSS, पीडिता का मेडिकल व सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्य संकलन कराया गया। घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में टीमों का गठन किया गया ।

03-त्वरित कार्रवाई करते हुए 02 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

गठित पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 21.07.26 को समय करीब 11.40 बजे बन्धा रोड के पास से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्तगण 0**1.जतिन बाजपेई उर्फ छोटू** पुत्र कौशल बाजपेई नि0 538क/983 त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 32 वर्ष **02. दीपक उर्फ शिवम शुक्ला** पुत्र श्री आनन्द कुमार शुक्ला नि0 538क/1283 60 फिटा रोड त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 33 वर्ष को अन्तर्गत धारा **70(2)/115(2)/351(2)/3(5)/140(4) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट में** गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

घटना मे प्रयुक्त होने वाली **कार संख्या यू0पी0 32 बी0के0 8317 मारूति बलेनो** रंग नीला को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया।

अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

04-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्तो द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0स0 134/2026 धारा 70(2)/115(2)/351(2)/3(5)/140(4) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ

06-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. **जतिन बाजपेई उर्फ छोटू पुत्र** कौशल बाजपेई नि0 538क/983 त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 32 वर्ष (**व्यवसाय** –बेरोजगार)
2. **दीपक उर्फ शिवम शुक्ला** पुत्र श्री आनन्द कुमार शुक्ला नि0- 538क/1283 60 फिटा रोड त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 33 वर्ष (**व्यवसाय** –बेरोजगार)

07. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. **अभियुक्त- जतिन बाजपेई उर्फ छोटू पुत्र कौशल बाजपेई-**
   - i. मु0अ0सं0 365/2021 धारा 13 जुआ अधि0 थाना हसनगंज जनपद लखनऊ

अभियुक्त दीपक उर्फ शिवम शुक्ला पुत्र श्री आनन्द कुमार शुक्ला-

i. मु0अ0सं0 365/2021 धारा 13 जुआ अधि0 थाना हसनगंज जनपद लखनऊ

ii. मु0अ0सं0 108/2026 धारा 85/115(2)/351(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

08. वाहन की बरामदी का विवरण:-

घटना मे प्रयुक्त कार संख्या यू0पी0 32 बी0के0 8317 मारूति बलेनो रंग नीला

09-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

थाना अलीगंज-

1. प्र0नि0 ध्रुव कुमार
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार
3. उ0नि0 श्री अभय प्रताप सिंह
4. उ0नि0 श्री शेषमणि मिश्रा
5. का0 आमीन
6. का0 सक्षम सोनकर

स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि दीपक कुमार

2. हे0का0 अवधेश गिरी
3. हे0का0 नदीम
4. हे0का0 संतोष कुमार
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
7. का0 विशेष दुहूण
8. का0 अमन शुक्ला

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1226
दिनांक-21.07.2026

जोन-मध्य/थाना-मदेयगंज

लूट की घटना का 24 घण्टे के भीतर सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार तथा लूटे गये रूपयों में से रूपये 1.92 लाख बरामद व 01 अन्य अभियुक्त की तलाश जारी।

- **दुकानदार को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने का झांसा देकर सुनसान स्थान पर बुलाकर लूट की घटना को दिया गया था अंजाम।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 2.50 लाख रुपये में से 1.92 लाख रुपये बरामद।**
- **घटना के अनावरण में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों का किया गया गहन विश्लेषण।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार दुकानदारों को सस्ते दामों पर सामान देने का झांसा देकर लूट की घटनाएं कारित करने की बात प्रकाश में आई।**

---

01. घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा **श्री महेन्द्र कुमार पुत्र रामसनेही निवासी 09ए मायापुरम, डिप्टीखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ** की **दोना-पत्तल एवं डिस्पोजल सामग्री की दुकान एकता नगर चौराहा, थाना ठाकुरगंज** में है।

कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम **सेख-सेख** बताया, वादी की दुकान पर आया और स्वयं को थोक में पन्नी एवं डिस्पोजल सामग्री बेचने वाला बताते हुए कहा कि उसका गोदाम **पक्का पुल, मदेयगंज** में है। उक्त व्यक्ति द्वारा वादी को सस्ते दामों पर लगभग **2.50 लाख रुपये का माल उपलब्ध कराने का झांसा** दिया गया।

वादी उसकी बातों पर विश्वास कर दिनांक **20.07.2026 को लगभग 10:30 बजे** 2.50 लाख रुपये लेकर पक्का पुल पहुंचा और उक्त व्यक्ति से फोन पर संपर्क किया। इसके बाद उसे **बंधा रोड, संझिया घाट के पास** बुलाया गया, जहां पहले से उसके दो अन्य साथी मौजूद थे।

वादी के मौके पर पहुंचने पर आरोपियों ने उससे रुपये देने को कहा। जैसे ही वादी ने अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी खोली, तभी तीनों आरोपियों ने उसके हाथ से **2.50 लाख रुपये से भरा बैग जबरन छीन लिया और मौके से फरार हो गये।**

घटना की सूचना पर थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा तत्काल **मु0अ0सं0 0096/2026 धारा 309(2) बीएनएस** पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

02. 24 घण्टे के भीतर पुलिस टीमों ने किया घटना का सफल अनावरण

घटना की गंभीरता को देखते हुए **श्रीमान पुलिस उपायुक्त मध्य महोदय के निर्देशन** में थाना मदेयगंज पुलिस की पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया।

गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं घटनास्थल से आने-जाने वाले मार्गों पर लगे **200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहनता से विश्लेषण** किया गया। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय जानकारी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए।

पुलिस टीमों के अथक प्रयास एवं प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई। दिनांक **21.07.2026 को समय लगभग 11:30 बजे** पुलिस टीम द्वारा **पक्का पुल के नीचे, गोमती नदी की तरफ, थाना क्षेत्र मदेयगंज, लखनऊ** से निम्न 03 अभियुक्तों-01**मोहन शेख** 02-**सोहेल** 03-**राकिब** को पुलिस हिरासत में लिया गया।गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये रुपयों में से कुल **₹1,92,000/-** बरामद किए गए।

03. पूछताछ विवरण एवं अभियुक्तों का मॉडस ऑपरेंडी

गिरफ्तार अभियुक्त **मोहन शेख** से पूछताछ में प्रकाश में आया कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदारों को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने का झांसा देते थे।

अभियुक्त दुकानदारों को विश्वास में लेने के बाद उन्हें किसी सुनसान स्थान पर बुलाते थे और वहां अपने साथियों के साथ मिलकर उनके पास मौजूद रुपये लूटकर फरार हो जाते थे।

इसी क्रम में अभियुक्त मोहन शेख द्वारा वादी की दुकान पर जाकर स्वयं को डिस्पोजल एवं दोना-पन्नी का व्यापारी बताते हुए उसे सस्ते दामों पर माल देने का झांसा दिया गया। लगभग **2.50 लाख रुपये में सौदा तय होने के बाद वादी को पूर्व से चिन्हित सुनसान स्थान बंधा रोड, गोमती नदी के किनारे बुलाया गया।**

घटना के दौरान अभियुक्तों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वादी से रुपये लूटे गये। अभियुक्तों का एक साथी **अनवर दूर खड़े होकर आने-जाने वाले लोगों एवं पुलिस गतिविधियों पर निगरानी रख रहा था।**

पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि घटना के बाद अभियुक्त लूटे गये रुपयों का आपस में बंटवारा करने के लिए एकत्र हुए थे। पुलिस टीम को देखकर फरार अभियुक्त **अनवर रुपयों की एक गड्डी लेकर मौके से भाग गया**, जबकि अन्य अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

फरार अभियुक्त **अनवर** की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. **मोहन शेख** पुत्र सौरभ शेख निवासी बाइना पोस्ट बाइना थाना टऊरा जनपद नदिया , पश्चिम बंगाल हाल पता-सी-333 जे0जे0 कालोनी बवाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली उम्र करीब 38 वर्ष
2. **सोहेल** पुत्र मोती शेख निवासी घुमा मुस्लिम तासपुर थाना अशोकनगर जिला उत्तर चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल व आजाद नगर निक अवध क्लीनिक सरवर स्कूल वाली गली बडी पकरिया खदरा मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष
3. **राकिब** पुत्र स्व0 नइमुद्दीन निवासी ऐशबाग थाना कृष्णगंज जिला नदिया, पश्चिम बंगाल उम्र करीब 28 वर्ष

05. बरामदगी का विवरण-

- ₹1,92,000/- नकद
- लूट की घटना में प्रयुक्त अन्य साधनों एवं अभियुक्तों से संबंधित जानकारी के संबंध में जांच जारी।

06-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0096/2026 धारा 309(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना मदेयगंज लखनऊ

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तिवारी, थाना मदेयगंज
2. उ0नि0 श्री बृजनन्दन यादव, थाना मदेयगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री दिव्यांशु मिश्रा, थाना मदेयगंज लखनऊ
4. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ
5. उ0नि0 श्री परितोष मिश्रा थाना मदेयगंज लखनऊ
6. उ0नि0 श्री किशन कुमार गुप्ता, थाना मदेयगंज लखनऊ
7. उ0नि0 श्री नागवेन्द्र सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ
8. उ0नि0 श्री बृजेश कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ
9. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार तिवारी, थाना मदेयगंज लखनऊ
10. हे0का0 सुमित कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1228
दिनांक-21.07.2026

जोन- मध्य/ थाना- महानगर

- **थाना महानगर पुलिस द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2026 को वादी श्री योगेश कुमार वन रक्षक शहरी रेंज लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा 28 आयरन ट्री गार्ड चोरी करके बेचा जाना तथा मौके पर 10 अदद आयरन ट्री गार्ड (कीमत करीब 18000 रू0) के साथ पकड़े जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 110/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम 1. संजू कश्यप पुत्र मेवा लाल कश्यप निवासी तकिया निशातगंज थाना महानगर लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष 02.पवन पुत्र विपत निवासी बाबा का पुरवा मेट्रो सिटी पेपरमिल कालोनी निशातगंज लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष 3. सहादत अली पुत्र मोर्हम अली निवासी बाबा का पुरवा पेपरमिल कॉलोनी थाना महानगर लखनऊ पंजीकृत कराया गया था।

1. **दिनांक 20.06.2026 को** अभियुक्तगण 1. संजू कश्यप पुत्र मेवा लाल कश्यप निवासी तकिया निशातगंज थाना महानगर लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष 02.पवन कश्यप पुत्र विपत कश्यप निवासी बाबा का पुरवा मेट्रो सिटी पेपरमिल कॉलोनी निशातगंज लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2. **आज दिनांक 21.07.2026 को वांछित अभियुक्त सहादत अली** पुत्र मोहर्रम अली निवासी अकरापुर श्रावस्ती, बहराइच उम्र करीब 34 वर्ष को, कबाडी की दुकान बाबा पुरवा पेपरमिल थाना महानगर लखनऊ से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा कबाड़ खरीदने की आड में मौके मिलने पर चोरी का समान की खरीद फरोख्त करना। लगभग एक माह पूर्व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण संजू कश्यप व पवन कश्यप उपरोक्त द्वारा सरकारी वन विभाग ट्री गार्ड चोरी करके अभियुक्त सहादत अली को बेचा गया था।अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सहादत अली पुत्र मोहर्रम अली निवासी अकरापुर श्रावस्ती बहराईच उम्र करीब 34 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 110/2026 धारा 317(4) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आलोक कुमार थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 दीपक कुमार बिंद थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1227
दिनांक-21.07.2026

जोन-उत्तरी / थाना- मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंटों (एनबीडब्ल्यू) के अनुपालन में थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 21.07.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण, अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, शांति एवं कानून-व्यवस्था ड्यूटी, जाँच एहकामात, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा वारण्टी अपराधियों की तलाश के दौरान ग्राम फिरोजपुर में दबिश देकर 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी चन्द्रपाल पुत्र स्व0महावीर पासी निवासी ग्राम फिरोजपुर, थाना मलिहाबाद, लखनऊ के विरुद्ध माननीय न्यायालय, लखनऊ द्वारा मु०अ०सं० 107/07, केस सं० 1029/08, धारा 143/447/506 भादवि एवं 4/10 वन अधिनियम से सम्बन्धित गैर-जमानती वारंट निर्गत किया गया था।

पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त को उसके निवास स्थान ग्राम फिरोजपुर से दिनांक 21.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को वारंट से अवगत कराते हुए विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उसकी पुत्री को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

गिरफ्तारी की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- सम्बन्धित वाद -

1. मु०अ०सं० 107/07, केस सं० 1029/08, धारा 143/447/506 भादवि एवं 4/10 वन अधिनियम, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ।

03-गिरफ्तार वारण्टी / अभियुक्त का विवरण-

1. चन्द्रपाल पुत्र स्व0महावीर पासी, निवासी ग्राम फिरोजपुर, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 60 वर्ष,

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० राहुल तिवारी, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ०नि० दिनेश कुमार सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1230

दिनांक- 21.07.2026

जोन- दक्षिणी/थाना- मोहनलालगंज

- **स्पैरो रिजार्ट में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज द्वारा गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्र मोहनलालगंज स्थित स्पैरो रिजार्ट में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.07.2026 को शिकायतकर्ता जितेन्द्र सिंह पुत्र सुबेदार सिंह निवासी ग्राम सतौहा, जनपद सीतापुर द्वारा थाना मोहनलालगंज पर सूचना दी गयी कि वह स्पैरो रिसॉर्ट, मदा खेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में दिनांक 19.07.2026 को गौरव शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा निवासी लालबाग, लखनऊ द्वारा रिंकू तिवारी उर्फ आशीष तिवारी के माध्यम से एक पार्टी बुक की गयी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, रात्रि के समय पार्टी में हर्ष फायरिंग की गयी।

उक्त कृत्य अत्यंत लापरवाहीपूर्ण एवं जनसुरक्षा के विरुद्ध होने के कारण, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर असलहे का प्रयोग कर आमजन के जीवन को संकट में डाला गया, थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 265/26 धारा 109(1), 189(2), 189(4), 190, 125, 3(5), 193(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.07.2026 को घटना के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया व 02 अन्य व्यक्तियो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अन्य अभियुक्तों की पहचान की जा रही है तथा घटना में प्रयुक्त असलहों की बरामदगी हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-गौरव शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा निवासी 119/230 लालबाग थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र 31 वर्ष। (व्यवसाय—पढ़ाई करता है।)

03-पंजीकृत अभियोग—

1. मु0अ0स0 265/26 धारा 109(1),189(2),189(4),190,125,3(5),193(1) BNS व 7 cla act थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1229
दिनांक-21.07.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र मे भिन्न-भिन्न गाड़ियों मे रखे दुकानो के माल को चोरी करने वाले 03 शातिर चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**
- **अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी किया गया सामान बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर वादी नितीश कुमार की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-125/26 धारा 305(C) बीएनएस** में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा माल चोरी हो जाने व वादी गगन प्रसाद की तहरीरी सूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 113/2026 धारा 303(2) बीएनएस** में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सामान चोरी हो जाने व वादी रामसिंह की तहरीर सूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 126/2026 धारा 305(ग) बीएनएस** में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सामान चोरी हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

02.कार्यवाही विवरणः-

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी के निर्देशन में थाना नाका पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित माल बरामद कर अभियुक्तगण 01.मोहम्मद इमरान पुत्र स्व0फहीम निवासी हाफिज दादा मस्जिद खुजरियांव थाना गोमतीनगर उम्र लगभग 19 वर्ष 02.सौरभ अरोड़ा पुत्र स्व0दीपक अरोड़ा निवासी प्लाट नंबर 25 गीतापुरी कॉलोनी खर्गापुर थाना गोमतीनगर विस्तार उम्र लगभग 31 वर्ष 03.संदीप जाटव पुत्र स्व रमेश निवासी ग्राम ढेहरी मीना गंज थाना चानचौड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र लगभग 25 वर्ष को दुर्गापुरी झोपड़पट्टी से गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

03-अपराध करने का तरीका –

अभियुक्तगण द्वारा दुकानों व प्रतिष्ठानों के बाहर व गाड़ियों में रखे माल व कीमती सामानों को पहले रेकी करते थे फिर बाद मे उनको अपने साथियों की मदद से चोरी करते थे ।

04-बरामद माल का विवरण-

लगभग पांच लाख का सामान- तीन बोरी रबर छोटी साइज, दो बोरी रबर बड़ी साइज, एक अदद फायर अलार्म मशीन, दो अदद 1 hp पानी मोटर, 20 लीटर आयल, नौ पैकेट राड बिल्डिंग, RR केबल तार 8 बंडल, फाइबर ऑप्टिक, ताबे की 4 रॉड, कोडक ट्रेसिंग पेपर, 2 थैलो में इलेक्ट्रानिक सामान, एक एक्जास फैन, एक थैले मे हार्ड बेयर सामान, एक कार्टून आयरन सिरफ, एक कार्टून आई कैप्सूल, एक कार्टून jp टोन इंजेक्शन, एक वॉश बेसिन, एक कार्टून पास-पास, एक कार्टून सिरफ jp टोन, एक पीपा 10 लीटर लिक्विड लाल रंग, एक कार्टून बड़ा कूलर फैन पत्ती, 10 पीस हैंगर, एक AC वोल्टास कंपनी 1.5 टन माल

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- मोहम्मद इमरान पुत्र स्व फहीम निवासी हाफिज दादा मस्जिद खुजरियांव थाना गोमती नगर उम्र लगभग 19 वर्ष

2- सौरभ अरोड़ा पुत्र स्व दीपक अरोड़ा निवासी प्लाट नंबर 25 गीतापुरी कॉलोनी खर्गापुर थाना गोमती नगर विस्तार उम्र लगभग 31 वर्ष

3- संदीप जाटव पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम ढेहरी मीना गंज थाना चानचौड़ा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र लगभग 25 वर्ष

06-अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 113/2026 धारा 303(2) बी एन एस थाना नाका हिण्डोला , कमिश्नरेट लखनऊ।

02. मु0अ0सं0 125/2026 अन्तर्गत धारा 305(C),317(2) बी.एन.एस थाना नाका हिण्डोला , कमिश्नरेट लखनऊ।

03. मु0अ0सं0 126/2026 धारा 305(ग) बी एन एस थाना नाका हिण्डोला , कमिश्नरेट लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशीष पटेल थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
2. उ0नि0 अजीत राय थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
3. उ0नि0 अवनीश सोनी नाका हिण्डोला लखनऊ।
4. उ.नि.राहुल चौधरी नाका हिण्डोला लखनऊ।
5. उ0नि0 उपेन्द्र सिंह नाका हिण्डोला लखनऊ।
6. उ0नि0 अमजद अली नाका हिण्डोला लखनऊ।
7. उ0नि0 ओपेन्द्र कुमार मिश्रा नाका हिण्डोला लखनऊ।
8. का0 दिव्यम यादव नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1231

दिनांक-21.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- **थाना निगोंहा पुलिस द्वारा पशु चोरी करने वाला 01 शातिर चोर / अभियुक्त को 48 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी की दो भैंस बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.07.2026 को वादी श्री अभिषेक शुक्ला बिन्देश्वरी पुत्र श्री उमाशंकर शुक्ला, निवासी बाजपेई खेड़ा, मजरा दयालपुर, थाना निगोहां, लखनऊ द्वारा थाना निगोहां पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया कि उनके घर के पास स्थित पशु बांधने के स्थान से उनकी भैंस चोरी कर ली गई है। इसी दौरान पड़ोसी ग्राम पश्चिम गाँव निवासी बंश दीपक अवस्थी की भैंस भी चोरी कर ली गई।

उक्त सूचना पर थाना निगोहाँ पर तत्काल मु0अ0सं0- 90/2026, धारा- 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण, चुराई गई भैंसों की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दो पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा लगभग 40-50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करते हुए स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 21.07.2026 को जंगल-मंगल तिराहे के समीप स्थित जंगल से शातिर पशु चोर 1. राजन पुत्र मनिया उर्फ मनीराम, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, थाना मसौली, जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार करते हुए कब्जे से चोरी की गई दो भैंसें बरामद की गईं।

घटना में वांछित अभियुक्त दूबे राज पुत्र धाकड़ व दिलीप उर्फ छोटू जंगल का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त राजन ने स्वीकार किया कि उसने अपने भाई दिलीप उर्फ छोटू तथा साथी दूबे राज के साथ मिलकर दिनांक 17/18.07.2026 की मध्यरात्रि में ग्राम बाजपेई खेड़ा एवं पश्चिम गाँव से एक-एक भैंस चोरी की थी। चोरी के बाद दोनों भैंसों को जंगल-मंगल तिराहे के समीप जंगल में छिपा दिया गया था जिससे भैंसों को बाराबंकी स्थित स्लॉटर हाउस ले जाकर बेचने वाले थे तथा प्राप्त धनराशि आपस में बांटने की योजना थी।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजन पुत्र मनिया उर्फ मनीराम निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी उम्र 20 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0- 90/2026,धारा-305(a),317(2) बीएनएस थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

05- गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

I. मु0अ0स0-319/2025,धारा-303(2),317(2),317(4) बीएनएस थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी
II. मु0अ0स0-331/2025,धारा-303(2),317(2),317(4) बीएनएस थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी
III. मु0अ0स0-130/2026,धारा-303(2) बीएनएस थाना सतरिखा जनपद बाराबंकी
IV. मु0अ0स0-130/2026,धारा-303(2), 317(2) बीएनएस थाना सतरिखा जनपद बाराबंकी
V. मु0अ0स0-194/2026,धारा-4/9/25 आर्म्स एक्ट, 313 बीएनएस, 8/21 NDPS ACT थाना सतरिखा जनपद बाराबंकी

06-फरार/वांछित अभियुक्त का विवरण-

I. दूबे राज पुत्र धाकड़ उर्फ शकील, निवासी ग्राम परभारी, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी
II. दिलीप उर्फ छोटू पुत्र मनिया उर्फ मनीराम निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी

07-बरामदगी विवरण –

- दो भैंस (कीमत लगभग 1 लाख 60 हजार रुपये)

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री चन्दन कुमार यादव
- उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार
- का0 रोहित कुमार
- का0 जावेन्द्र कुमार
- का0 राजकरन